

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांक— 3888

दिनांक—15.10.2025

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर के आदेश कमांक स्था. /2025/34403 दिनांक 14.10.2025 की पालना में मुझ पीठासीन अधिकारी अर्चना गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन लेखबद्ध करने के संदर्भ में थाना अखैपुरा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किये जाते हैं—

अन्वेषण अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लेखबद्ध कराये जाने वांछित हो और उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र पेश किया जावे, तो उस थाने के धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निम्नानुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जावेगा।

क्र०सं०	थाना/ क्षेत्राधिकार न्यायालय	धारा-183 बी एन एस एस के तहत लिये जाने वाले न्यायालय का नाम	कॉलम संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर
1	2	3	4	5	6
01	Akhepura / C.J.M. Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar	A.C.J. & J.M.-4 Alwar	A.C.J. & J.M.-5 Alwar

कॉलम संख्या-3 लगायत 6 तक के समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर न्यायालय Spl. J.M. (N.I.Act Cases) No-2, Alwar जिला अलवर द्वारा धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्ध किये जावेंगे।

नोट—

01. किसी प्रकरण में माल अथवा मुलजिम की शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु नये संशोधित प्रावधानानुसार की जावेगी। इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही पेश किये जावेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए शिनाख्तगी की कार्यवाही उपलब्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए जायेंगे।

02. माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एल.पी.(किमिनल) नम्बर 5073/11 स्टेट आफ़ कर्नाटक बनाम शिवान्ना में पारित आदेश के निर्देशानुसार एवं प्रक्रिया की सुगमता के तहत धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

C/R

2

कथनों की प्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र पेश करने पर कि वह उक्त बयान में दर्ज कथन को किसी पर जाहिर नहीं करेंगे, तुरन्त अनुसंधान अधिकारी को लेखबद्ध बयान की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध करायेगें।

03 न्यायालय-Spl. J.M.(N.I.Act Cases) No-2, Alwar के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में उसके लिंक अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जावेगां तथा महिला पीठासीन अधिकारी नहीं होने पर उस न्यायालय के लिंक पीठासीन अधिकारी के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 02/एस.आर.ओ. /2024 दिनांक 24.01.2024 के अनुसार बयान लिये जावेंगे।

04. यदि विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त व्यवस्थानुसार कार्य करना सम्भव न हो तो इसके सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

05. भविष्य में कॉलम नम्बर 3 लगायत 6 में अंकित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर उनके स्थान पर मेल पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन होने पर आगामी कॉलम अनुसार बयान लेखबद्ध किये जावेंगे।

06. उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2/d
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (140)

क्रमांक-3889-94

दिनांक- 15/10/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सादर प्रेषित है-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर
02. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर
03. समस्त पीठासीन अधिकारी.....
04. समस्त थानाधिकारी.....
05. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड करे)
06. कार्यालय प्रति/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन अलवर

अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (140)